

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर
बड़जलारा पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. पुत्र गुलण खां 1. मुसलमान निवासी रोला रोला बाप जिला जोधपुर		1. तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
जस्य प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.
नम्बर :- 07/2019

अधिवक्ता :-
श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी वादीगण एवं अप्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 13.01.2020

निर्णय

वादी के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादी की खातेदारी की खसरा नं. 22 रकबा 211.02 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद मौजा रोला पटवार क्षेत्र तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्ता सेटलमेंट और सेटलमेंट से पहले से ही वादी के कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादी के पूर्वज मजदूरी करने हेतु बाहर गांव चले थे इसलिए खसरा नंबर 162 रकबा 211.02 बीघा भूमि उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि पर वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त से चला आ रहा था उन्होंने अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, गेहूँ के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बनाये थे। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादी ने उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा र चारों ओर खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादी उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। वादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु किया है। जिसमें वादी को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से वेदखल किया है वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से उक्त भूमि पर वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने वादी को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादी का वाद योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उक्त कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होने से तथा वाद पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इसी पर खारिज किये जाने योग्य है। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर


3 वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर पीढियों से पुराना कब्जा वकाशत है और वर्तमान वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उपनिवेशन लागू होते हैं और उपनिवेशन नियमों तहत सरकारी भूमि पर कब्जाधारी व्यक्ति को कब्जा अनुसार खातेदारी दिये जाने के नियम हैं। वादी के नाम से समय समय पर खसरा शील पी-14 भी तैयार की गई है। जिससे साबित होता है कि वादीगण उक्त भूमि पर है तथा वादी का वाद दस्तावेजात से साबित है। प्रतिवादी ने वादी को मौके से बेदखल उतारू थे इसलिए उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस में प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त वाद में सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश जो उक्त वाद में लागू नहीं होता है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ज्ञात का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रयन किया गया। वाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादी द्वारा राजकीय चक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत है। प्रार्थी तहसीलदार वाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादी) अतिक्रमी है वादी अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गलत है। वादी का वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार तोष प्राप्ति हेतु कोई साखान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय के विनम्र सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चों तथा अनेक क्रियाओं के प्रयोजन से होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृत्ति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद को खारिज किया जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त वाद में वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के तहत वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोचित तथा वादी दस्तावेज के अभाव में विनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार नहीं जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का खारिज किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 13.01.2020 को सुनाया गया।


(महावीर-सिंह)
सहायक कलक्टर
वाप जोधपुर

